छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–5/2017/खाद्य/29–1/2420 नया रायपुर, दिनॉक 20.09.2017

प्रति,

1. **समस्त संभागायुक्त,**
   छत्तीसगढ़
2. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़
3. **रजिस्ट्रार,**
   सहकारी संस्थाएँ, रायपुर
4. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक, रायपुर

विषय :— खरीफ विपणन वर्ष 2017–18 में धान विक्रय हेतु कृषकों के पंजीयन के संबंध में।

संदर्भ :— विभागीय पत्र क्र0 एफ 4–5/खाद्य/2017/29/1926, दिनॉक 29 जुलाई, 2017.

कृपया संदर्भित विभागीय पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से खरीफ वर्ष 2017–18 में किसानों के पंजीयन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देश के बिन्दु क्रमांक 4.6 में निम्नानुसार उल्लेख है :

"4.6 जो कृषक धान बीज उत्पादन के लिए बीज निगम के साथ पंजीकृत है, उन कृषकों के धान बीज रकबे को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए पंजीयन नही किया जावे। धान बीज उत्पादन के रकबे को छोडते हुए शेष धान रकबे का पंजीयन किया जा सकता है।"

2. संदर्भित पत्र की उपरोक्त कंडिका 4.6 को विलोपित करते हुए निम्न अनुसार नवीन कंडिका 4.6 प्रतिस्थापित की जाती है :

4.6 **(i) समस्त धान बीज उत्पादक कृषकों का बीज निगम के साथ–साथ समिति में भी गत वर्ष अनुसार ही पंजीयन किया जावे।**

(ii) समिति द्वारा बीज उत्पादक कृषकों से धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी दिनॉक 31.01.2018 तक की जा सकती है ।

(iii) समिति द्वारा बीज उत्पादक कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फेल धान बीज की खरीदी दिनॉक 31.05.2018 तक की जा सकती है ।

(iv) बीज उत्पादक कृषकों को समिति स्तर पर कृषक पंजीयन से वंचित नही किया जावे। शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन ही बीज उत्पादक कृषकों से धान तथा फेल धान बीज की खरीदी नियमानुसार की जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधित प्रावधान अनुसार पंजीयन कार्यवाही सुनिश्चित करें। शासन तथा बीज निगम के मध्य आंकडों का मिलान कर सुनिश्चित किया जावेगा कि कृषकों द्वारा कुल धारित रकबे के अधीन ही धान तथा धान बीज का विक्रय किया गया है।

Rinha
(ऋचा शर्मा) 20/9/18
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उप0सरं0विभाग

क्रमांक एफ 4–5/2017/खाद्य/29–1,/2421 नया रायपुर, दिनॉक 20.09.2017

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण संचालनालय, नया रायपुर,
4. संचालक, कृषि विभाग, रायपुर,
5. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम, रायपुर,
6. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर,
7. टेक्नीकल डायरेक्टर, एन0आई0सी0, मंत्रालय, नया रायपुर,
8. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Rinha
सचिव 20/9/18
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उप0सरं0विभाग